संख्या-16/2023/001-248/60-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 30 मार्च, 2023**

विषय:- उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4014/म0क0निदे0/प्रोबे0/मु0बा0बजट/2022-23, दिनांक 27.02.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-04- कन्या सुमंगला योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचतों से अनुदान संख्या- 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-02-बाल कल्याण-06-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपभोग आदि उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग निदेशालय द्वारा नहीं की जायेगी।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त आपैचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3000.00 लाख (रुपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021020600 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-RE-budget-1-668, दिनांक 28.03.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनु सचिव

संख्या-16/2023/001-248/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ/प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।